



समता आन्दोलन समिति (रजि.)

राष्ट्रीय कार्यालय : सी-28, निशान्त पार्क, ककरोला मोड, मेट्रो पिल्लर नं. 800 के पास, द्वारिका, नई-दिल्ली

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटवाडा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in

e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अमिताभ गुप्ता
संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)

माननीय श्री जे.एस. राठौड़
संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)



हमारे प्रेरणा पुंजः पं० जवाहरलाल नेहरू
'जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना
मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।'
(27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप
में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

क्रमांक 1022-1810

दिनांक : 06.12.2012

श्रीमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त
भारतीय निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली -110001

याचिका

विषय :-मतदाताओं से छल, कपट, धोखा एवं दुराचरण करने वाली पार्टी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जब्त करने की याचिका ।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत वर्ष के करोड़ों मतदाताओं के साथ छल, कपट, धोखा एवं चुनावी दुराचरण करने वाली राजनैतिक पार्टी है जिसके कृत्यों से भारत वर्ष में प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो गंभीर नुकसान हो रहा है, अराजकता बढ़ रही है, नक्सलवाद बढ़ रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है, पारस्परिक सदभाव घट रहा है और कटुता बढ़ती जा रही है। पूरा देश जातिवादी संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। आपके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिछले आम चुनावों का चुनावी घोषणा पत्र मौजूद है, जिसकी प्रमाणित प्रति हमने आर.टी.आई.एक्ट में प्राप्त की है।

इस चुनावी घोषणा पत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि :-

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश के दलितों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए, सभी के समान बनाने के लिए, समर्थ बनाने के लिए, अनेक कार्य योजनाएँ निष्पादित करने का वादा किया था।
2. देश में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कुशलता, भाईचारा, जातिवादी सदभाव बढ़ाने एवं नक्सलवाद, अपराध, जातिवाद, भ्रष्टाचार आदि पर लगाम कसने का सपना दिखाया था।
3. पदोन्नति में आरक्षण संबंधी सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा एम.नागराज के प्रकरण में दिये गये निर्णय से कोई छेड़-छाड़ करने की घोषणा नहीं की थी।
4. पदोन्नति में आरक्षण संबंधी कोई संविधान संशोधन करने की घोषणा नहीं की गई थी।
5. भारतीय संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोई घोषणा नहीं की गई थी।

हमने अर्थात् भारत वर्ष के करोड़ों मतदाताओं ने इसी चुनावी घोषणा पत्र पर एवं कांग्रेसी नेताओं के वचनों पर विश्वास करके पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के संसदीय प्रत्याशियों को वोट एवं समर्थन दिया था इसी कारण कांग्रेस पार्टी की केन्द्र में सरकार बन पाई थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी द्वारा कुछ जातिवादी सांसदों के दबाब में आकर राज्य सभा के पिछले सत्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4)(ए) में संशोधन हेतु विधेयक पेश किया गया है, जिसका झापट संलग्न है(देखिये अनुलग्नक-1)।

(लगातार— 2)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665

राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
योगेन्द्र राठौड़
(मुख्य लेखाधिकारी)
मो. 9166494225

अजमेर
एन. के. झामड़
(अधिकाधी अभियन्ता)
मो. 9414008416

बीकानेर
कैप्टन गुरुविन्दर सिंह
(एडवोकेट उच्च न्यायालय)
मो. 9314142509

भारतपुर
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447

कोटा
अजय चतुर्वेदी
(अधिकाधी अभियन्ता)
मो. 9413385665

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूडावत, एडवोकेट
(कार्य. प्रदेशाध्यक्ष- क्षत्रिय महासभा राज.)
मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
संरक्षक : समता ज्योति (मासिक-पत्र)
मो. 9314962106

टार्गेट-2015

आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण



समता आन्दोलन समिति (रजि.)

राष्ट्रीय कार्यालय : सी-28, निशान्त पार्क, ककरोला मोड़, मेट्रो पिल्लर नं. 800 के पास, द्वारिका, नई-दिल्ली

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटवाडा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in

e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अमिताभ गुप्ता
संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)

माननीय श्री जे.एस. राठौड़
संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)



हमारे प्रेरणा पुंज: पं० जवाहरलाल नेहरू
'जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना
मुख्यता ही नहीं, विध्वंसकारी है।'
(27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप
में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

क्रमांक

(2)

दिनांक :

इस संविधान संशोधन विधेयक के ड्राफ्ट को देखने से स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी :-

1. भारत वर्ष के वास्तविक पिछड़ों, दलितों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को हमेशा ही पिछड़ा, दलित एवं अनुसूचित जाति/जनजाति विशेष का ही बनाये रखना चाहती है। उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ना नहीं चाहती। आरक्षित वर्ग के चार-पांच प्रतिशत सम्पन्न लोगों के दबाव में आकर वास्तविक दलितों एवं पिछड़ों से विश्वासघात कर रही है और अनारक्षित वर्ग द्वारा वास्तविक दलितों एवं पिछड़ों के उत्थान के लिए छोड़ी जा रही नौकरियों, शैक्षणिक सीटों एवं खरबों रूपयों की कर राशि / अनुदान राशि के लाभ को केवल चार-पांच प्रतिशत सम्पन्न आरक्षित वर्ग/ शोषक वर्ग द्वारा अनन्त काल तक हडपे जाने का प्रावधान संविधान संशोधन के द्वारा ला रही है।
2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उपरोक्त जाति आधारित संविधान संशोधन विधेयक से देश की कानून व्यवस्था को गंभीर खतरा हो गया है, राज्य/केन्द्र सरकार के प्रशासन तंत्र में भयंकर जातिवादी बिखराव आ रहा है, सरकारी योजनाओं व आरक्षण का लाभ पीढ़ी-दर-पीढ़ी केवल चार-पांच प्रतिशत सम्पन्न आरक्षित वर्ग तक ही सिमट जाने के कारण देश के वास्तविक दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोग नक्सलवाद की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, जातिगत वैमनस्य बढ़ रहा है, पारस्परिक सद्भाव घट रहा है, देश में जगह-जगह जाति आधारित धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, देश की एकता एवं अखण्डता को खतरा पैदा हो रहा है।
3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र के विरुद्ध जाकर जातिवादी राजनीति करते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम.नागराज के प्रकरण में दिये गये समता वादी निर्णय को करोड़ो मतदाताओं का अपमान करते हुये कचरे की टोकरी में फेंक रही है।
4. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मौजूदा प्रावधानों को बदल कर देश के वास्तविक दलितों एवं पिछड़ों का तिरस्कार करने वाले प्रावधान जोड़ कर पूरे देश के साथ खुला विश्वासघात कर रही है।
5. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे को ध्वस्त करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनेक संविधान पीठों द्वारा दिये गये राष्ट्रवादी निर्णयों का मजाक उड़ा कर राजनैतिक गुण्डागर्दी करते हुये अनुच्छेद 16(4)(ए) में संशोधन करने का प्रयास कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का ऐसा कुकृत्य पूरे देश के साथ विश्वासघात है, उसके घोषणा पत्र पर विश्वास करके उसके प्रत्याशियों को मत एवं समर्थन देने वाले करोड़ों मतदाताओं का अपमान है, भारतीय प्रजातंत्र का मजाक उड़ाने वाला कदम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के इस कपटी एवं दुराचारी कृत्य से पूरे देश के मतदाता स्तब्ध हैं और उनकी भारतीय संविधान एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आस्थाएँ डगमगा रही हैं।

(लगातार— 3)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682
पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665
राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499
ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

**प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-**

जयपुर
योगेन्द्र राठौड़
(मुख्य लेखाधिकारी)
मो. 9166494225
अजमेर

एन. के. झामड़
(अधिकांश अभियन्ता)
मो. 9414008416
बीकानेर

कैप्टन गुरुविन्दर सिंह
(एडवोकेट उच्च न्यायालय)
मो. 9314142509
भरतपुर

हेमराज गोयल
(सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850
जोधपुर

प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447
कोटा

अजय चतुर्वेदी
(अधिकांश अभियन्ता)
मो. 9413385665
उदयपुर

दूल्हा सिंह चूडावत, एडवोकेट
(कार्य. प्रदेशाध्यक्ष- क्षत्रिय महासभा राज.)
मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
संरक्षक : समता ज्योति (मासिक-पत्र)
मो. 9314962106

टार्गेट-2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण



समता आन्दोलन समिति (रजि.)

राष्ट्रीय कार्यालय : सी-28, निशान्त पार्क, ककरोला मोड, मेट्रो पिल्लर नं. 800 के पास, द्वारिका, नई-दिल्ली

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटवाडा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in

e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अमिताभ गुप्ता
संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)

माननीय श्री जे.एस. राठौड़
संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)



हमारे प्रेरणा पुंज: पं० जवाहरलाल नेहरू
'जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना
मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।'
(27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप
में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682
पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665
राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499
ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

**प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-**

जयपुर
योगेन्द्र राठौड़
(मुख्य लेखाधिकारी)
मो. 9166494225

अजमेर
एन. के. झामड
(अधिकाधी अभियन्ता)
मो. 9414008416

बीकानेर
कैप्टन गुरुविन्दर सिंह
(एडवोकेट उच्च न्यायलय)
मो. 9314142509

भरतपुर
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447

कोटा
अजय चतुर्वेदी
(अधिकाधी अभियन्ता)
मो. 9413385665

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूडावत, एडवोकेट
(कार्य. प्रदेशाध्यक्ष-क्षेत्रिय महासभा राज.)
मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
संरक्षक : समता ज्योति (मासिक-पत्र)
मो. 9314962106

टार्गेट-2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक

(3)

दिनांक :

अतः आपके समक्ष यह याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि :-

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जैसी कपटी, धोखेबाज एवं दुराचारी पार्टी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उसके चुनाव चिन्ह को तत्काल जब्त करने की कृपा करे ताकि भविष्य में कोई भी राजनैतिक दल ऐसा छल, कपट, धोखा एवं दुराचरण नहीं कर सकें ।
2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को सलाह दी जावे कि वह अपना नाम बदल कर भारतीय जातिवादी कांग्रेस रख लेवे ताकि कोई भी राष्ट्रवादी मतदाता भ्रम एवं धोखे में आकर उसे मतदान करने के झांसे में ना आवें ।

भारत वर्ष में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए, राजनैतिक दलों के घोषणा पत्रों की पवित्रता बनाये रखने के लिए, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, भारतीय चुनाव व्यवस्था को स्वच्छ एवं पवित्र बनाने के लिए तथा देश के राष्ट्रवादी मतदाताओं का भारतीय संविधान में विश्वास बनाये रखने के लिए, देश के करोड़ों मतदाताओं की ओर से उपरोक्त दोनों प्रार्थनाएँ स्वीकार करके भारतीय निर्वाचन आयोग निश्चित रूप से अपनी राष्ट्रवादी सोच का परिचय देगा ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है ।

त्वरित एवं सकारात्मक कार्यवाही के लिए अग्रिम धन्यवाद,

भवदीय,

ह०

(रामनिरंजन गौड़)

महासचिव

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान सचिव महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारतीय गणराज्य, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली - 110001 को प्रेषित कर निवेदन है कि याचिका में त्वरित न्यायप्रिय निर्णय लिये जाने हेतु राष्ट्रपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करावे ।
2. सभी माननीय सांसदगण लोकसभा/राज्य सभा को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया पदोन्नति में आरक्षण अविधिक एवं असंवैधानिक है । अतः प्रस्तावित 117वां संविधान संशोधन विधेयक को व्यापक राष्ट्रहित में रोकें जाने की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग प्रदान करें ।

(रामनिरंजन गौड़)

महासचिव